

**मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
**पर्यावरण परिसर, ई-4, अरेय कॉलोनी, भोपाल**

क्रमांक

/स्था/प्रनिबो/2015

भोपाल,दिनांक

--: कार्यालय आदेश :-

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ग्रीन (हरी) श्रेणी उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सम्मति/नवीनीकरण प्राप्त करने समय ही निरीक्षण किया जावेगा तथा इस प्रकार के प्रकरणों में नियमित निरीक्षण (Routine Inspection) वर्ष में एकबार की अनिवार्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है ।

( ए.ए.मिश्रा )  
सदस्य सचिव

पृ०क्रमांक 863 /स्था/प्रनिबो/2015  
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक 0 APR 2015

- 1 प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर दिनांक 09/04/2015 को मुख्यमंत्री कार्यालय में **Ease of Doing Business** के अन्तर्गत हुई समीक्षा बैठक के परिपालन में कृपया सूचनार्थ ।
- 2 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 3 समस्त शाखा प्रभारी, ..... म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।
- 4 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/उपक्षेत्रीय अधिकारी/एकल खिड़की प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, .....की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।
- 5 आईटी शाखा/गार्ड फाईल ।

( ए.ए.मिश्रा )  
सदस्य सचिव

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

5